



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012026-269115
CG-DL-E-05012026-269115

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 2026/पौष 15, 1947

No. 50]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 2026/PAUSHA 15, 1947

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2026

का.आ. 51(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, 50 किग्रा सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा-उच्च घनत्व के पॉलीइथलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम 50 किग्रा सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा-उच्च घनत्व के पॉलीइथलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2026 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. 50 किग्रा सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा-उच्च घनत्व के पॉलीइथलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:

“(2) यह आदेश 6 अक्टूबर, 2026 को प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019--टेक.सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: 50 किग्रा सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा-उच्च घनत्व के पॉलीइथलीन (एचडीपीई)/पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5178 (अ), तारीख 6 दिसंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2181 (अ), तारीख 4 जून, 2024, का.आ. 3938 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2024, का.आ. 5261 (अ), तारीख 6 दिसंबर, 2024, का.आ. 2551(अ), तारीख 11 जून, 2025 तथा का.आ. 4066(अ), तारीख 4 सितंबर, 2025 द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 5th January, 2026

S.O. 51(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order further to amend the Textiles — High Density Polyethylene (HDPE) / Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023, namely: -

1. (1) This order may be called the Textiles — High Density Polyethylene (HDPE)/ Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Amendment Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Textiles — High Density Polyethylene (HDPE) / Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

“(2) It shall come into force on the 6th day of October, 2026”.

[F. No. PC-II-25014/9/2019-TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The Textiles — High Density Polyethylene (HDPE) / Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 5178(E), dated the 6th December, 2023 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 2181(E), dated the 4th June, 2024, S.O. 3938(E), dated the 13th September 2024, S.O. 5261(E), dated the 6th December, 2024, S.O. 2551(E), dated the 11th June 2025 and S.O. 4066(E), dated the 4th September, 2025.

आदेश

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2026

का.आ. 52(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, 50 किग्रा सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा-पॉली प्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए, लैमिनेटेड, ब्लॉक बॉटम वाल्व बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातः

1. (1) इस आदेश संक्षिप्त का नाम 50 किग्रा सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा-पाँली प्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए, लैमिनेटेड, ब्लॉक बॉटम वाल्व बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2026 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. 50 किग्रा सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा-पाँली प्रोपिलीन (पीपी) बुने, लैमिनेटेड, ब्लॉक बॉटम वाल्व बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थातः

“(2) यह आदेश 6 अक्टूबर, 2026 को प्रवृत्त होगा”।

[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019--टेक.सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: 50 किग्रा सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा-पाँली प्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए, लैमिनेटेड, ब्लॉक बॉटम वाल्व बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5179 (अ), तारीख 6 दिसंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2182 (अ), तारीख 4 जून, 2024, का.आ. 3939 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2024, का.आ. 5262(अ), तारीख 6 दिसंबर, 2024, का.आ. 2552(अ), तारीख 11 जून, 2025 तथा का.आ. 4067(अ), तारीख 4 सितंबर, 2025 को द्वारा संशोधन किए गए थे।

ORDER

New Delhi, the 5th January, 2026

S.O. 52(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order further to amend the Textiles — Polypropylene (PP) Woven, Laminated, Block Bottom Valve Sacks for Packaging 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023, namely: -

1. (1) This order may be called the Textiles — Polypropylene (PP) Woven, Laminated, Block Bottom Valve Sacks for Packaging 50 kg Cement (Quality Control) Amendment Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Textiles — Polypropylene (PP) Woven, Laminated, Block Bottom Valve Sacks for Packaging 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

“(2) It shall come into force on the 6th day of October, 2026”.

[F. No. PC-II-25014/9/2019-TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The Textiles — Polypropylene (PP) Woven, Laminated, Block Bottom Valve Sacks for Packaging 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 5179(E), dated the 6th December, 2023 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 2182(E), dated the 4th June, 2024, S.O. 3939(E), dated the 13th September 2024, S.O. 5262(E), dated the 6th December, 2024, S.O. 2552(E), dated the 11th June, 2025 and S.O. 4067(E), dated the 4th September, 2025.

आदेश

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2026

का.आ. 53(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, मेल सॉर्टिंग भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए कपड़ा - पॉली प्रोपिलीन (पीपी)/उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) लैमिनेटेड बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मेल सॉर्टिंग भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए कपड़ा-पॉली प्रोपिलीन (पीपी)/उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) लैमिनेटेड बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2026 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. मेल सॉर्टिंग भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए कपड़ा-पॉली प्रोपिलीन (पीपी)/उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) लैमिनेटेड बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात:

“(2) यह आदेश 6 अक्टूबर, 2026 को प्रवृत्त होगा”।

[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019--टेक.सीपीसी]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मेल सॉर्टिंग भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए कपड़ा - पॉली प्रोपिलीन (पीपी)/उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) लैमिनेटेड बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 5181 (अ), तारीख 6 दिसंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2183 (अ), तारीख 4 जून, 2024, का.आ. 3940 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2024, और का.आ. 5263 (अ), तारीख 6 दिसंबर, 2024, का.आ. 2553(अ), तारीख 11 जून, 2025 तथा का.आ. 4068(अ), तारीख 4 सितंबर, 2025 द्वारा संशोधन किए गए थे।

ORDER

New Delhi, the 5th January, 2026

S.O. 53(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order further to amend the Textiles — Polypropylene (PP)/ High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Sacks for Mail Sorting, Storage, Transport and Distribution (Quality Control) Order, 2023, namely: -

1. (1) This order may be called the Textiles — Polypropylene (PP)/ High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Sacks for Mail Sorting, Storage, Transport and Distribution (Quality Control) Amendment Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Textiles — Polypropylene (PP)/ High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Sacks for Mail Sorting, Storage, Transport and Distribution (Quality Control) Order, 2023, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

“(2) It shall come into force on the 6th day of October, 2026”.

[F. No. PC-II-25014/9/2019-TECH.-CPC]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The Textiles — Polypropylene (PP)/ High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Sacks for Mail Sorting, Storage, Transport and Distribution (Quality Control) Order, 2023 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 5181(E), dated the 6th December, 2023 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 2183(E), dated the 4th June, 2024, S.O. 3940(E), dated the 13th September 2024 and S.O. 5263(E), dated the 6th December, 2024, S.O. 2553(E), dated the 11th June, 2025 and S.O. 4068(E), dated the 4th September, 2025.